



एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

क्लीन नोट नीति

प्रिय ग्राहक,

- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हम ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत करेंसी नोटों/नोट पैकेटों की स्टेपलिंग पर रोक लगाने के लिए निदेश जारी किए हैं।
- सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वे केवल नत्थी रहित स्थिति में करेंसी नोट प्रस्तुत करें।
- बैंक केवल नत्थी रहित स्थिति में करेंसी नोट भी जारी करेगा।

यदि आपको कोई कठिनाई आती है, तो कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। आपसे सहयोग की अनुरोध है।

शाखा प्रबंधक